संख्या-401/2017/1878/22-2-2016-17(273)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबालक पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबालक पुत्र श्री महावीर, ग्राम मुस्तफाबाद, थाना बॉगरमऊ, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी का सहअभियुक्त रईस अपने पिता की दुकान से पैसे चुराकर अपनी मॉ को देता था। पिता द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07.02.1977 की रात्रि में गडांसे मारकर अपने पिता की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 19-04-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.07.1999 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.05.2015 तक 16 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी का सहअभियुक्त रईस अपने पिता की दुकान से पैसे चुराकर अपनी मॉ को देता था। पिता द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07.02.1977 की रात्रि में गडांसे मारकर अपने पिता की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवबालक पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवबालक (बन्दी संख्या-10986) पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-401/2017/1878(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-401/2017/1878@22-2-2016-17(273)/2010

दिनांक 07 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध बन्दी शिवबालक (बन्दी संख्या-10986) पुत्र श्री महावीर, ग्राम-मुस्तफाबाद, थाना-बॉगरमऊ, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी का सहअभियुक्त रईस अपने पिता की दुकान से पैसे चुराकर अपनी मॉ को देता था। पिता द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07.02.1977 की रात्रि में गडांसे मारकर अपने पिता की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 19-04-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.07.1999 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.05.2015 तक 16 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी का सहअभियुक्त रईस अपने पिता की दुकान से पैसे चुराकर अपनी मॉ को देता था। पिता द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07.02.1977 की रात्रि में गडांसे मारकर अपने पिता की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवबालक पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-उन्नाव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in